

अध्याय- 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान अङ्गर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मर्दों के संदर्भ में विनियोग लेखों में उन अधिकृत को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, भारित किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2011-12 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है:

तालिका-2.1

वर्ष 2011-12 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक	योग	वास्तविक	बचत (-)
दत्तमत	I राजस्व	1,23,02.30	11,14.20	1,34,16.50	1,11,56.11	(-)22,60.39
	II पूँजीगत	30,93.59	234.46	3328.05	35,85.79	(+)257.74
	III ऋण एवं अग्रिम	307.91	242.11	550.02	246.83	(-)303.19
योग-दत्तमत		1,57,03.80	15,90.77	1,72,94.57	1,49,88.73	(-) 23,05.84
भारित	IV राजस्व	20,23.39	41.69	20,65.08	18,28.91	(-)2,36.17
	V पूँजीगत	1.00	4.00	5.00	4.88	(-) 0.12
	VI लोक ऋण-पनर्धगतान	16,38.73	-	16,38.73	1924.04	(+)285.31
योग-भारित		36,63.12	45.69	37,08.81	37,57.84	(+) 49.02
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		-	-	-	-	--
कुल योग		1,93,66.92	16,36.46	2,10,03.38	1,87,46.56	(-) 22,56.82

तालिका 2.1 अनुसार, ₹ 2,256.82 करोड़ की बचत (निधियों के उपयोग में कमी), राजस्व खण्ड (37 प्रकरणों) और पूँजीगत खण्ड (23 प्रकरणों) के अनुदान तथा विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 3,868.22 करोड़ की बचत, पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत चार अनुदानों व एक विनियोग में ₹ 1,611.40 करोड़ के आधिक्य के परिणामस्वरूप थी।

जिन विभागों के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचत (₹ 100 करोड़ से ज्यादा) वर्ष के दौरान जानकारी में आयी वे वित्त (₹ 870.47 करोड़), ऊर्जा (₹ 538.31 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति (₹ 449.69 करोड़), अनुसूचित जातियों का कल्याण (₹ 370.13 करोड़), जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (₹ 251.53 करोड़), कल्याण (₹ 219.48 करोड़) तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 192.99 करोड़), ग्राम्य विकास (₹ 158.75 करोड़), खाद्य (₹ 123.52 करोड़) तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (₹ 100.06 करोड़) थे। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के दौरान जिन विभागों में आवंटन पर महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया उनमें खाद्य (₹ 1,283.25 करोड़), वित्त (₹ 285.32 करोड़), कृषि (₹ 18.33 करोड़), उद्यान विभाग (₹ 4.51 करोड़) तथा लोक निर्माण विभाग (₹ 19.99 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत/आधिक्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध करते हुए बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) को उन्हें सूचित किया गया था (जुलाई 2012)। उनके उत्तर अगस्त 2012 तक प्रतीक्षित थे।

2.3 वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि बचत 55 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं 34 प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट-2.1)। ₹ 3,868.22 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध 10 अनुदानों तथा एक विनियोग से सम्बन्धित 15 प्रकरणों में ₹ 3,142.24 करोड़ (81.23 प्रतिशत)¹ की बचत हुई जैसा कि तालिका-2.2 में प्रदर्शित है।

तालिका-2.2

₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व-दत्तमत						
1	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2,243.70	55.98	2,299.68	1,719.58	580.10
2	10-पुलिस व कारागार	667.28	43.72	711.00	660.48	50.52

¹ प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण

3	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	3,182.44	467.89	3,650.33	3,366.95	283.38
4	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	803.83	16.28	820.11	666.12	153.99
5	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	646.94	2.07	649.01	413.24	235.77
6	15-कल्याण	552.63	94.44	647.07	449.62	197.45
7	19-ग्राम्य विकास	323.11	64.74	387.85	295.14	92.71
8	25-खाद्य	327.52	0.20	327.72	204.20	123.52
9	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	534.49	37.34	571.83	378.20	193.63
पूँजीगत-दत्तमत						
10	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	117.80	32.77	150.57	78.14	72.43
11	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	271.05	16.22	287.27	120.95	166.32
12	19-ग्राम्य विकास	213.88	0	213.88	147.83	66.05
13	21-ऊर्जा	448.92	227.11	676.03	144.11	531.92
14	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	338.69	2.80	341.49	164.99	176.50
राजस्व-प्रभारित						
15	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1,974.03	38.96	2,012.99	1,795.04	217.95
योग		12,646.31	1,100.52	13,746.83	10,604.59	3,142.24

बचत के कारण अगस्त 2012 तक प्रतीक्षित थे।

2.3.2 निरन्तर बचत

19प्रकरणों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत थी (तालिका-2.3)।

तालिका-2.3

पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1	04-न्याय प्रशासन	18.69	16.29	28.57	29.91	28.05
2	05-निर्वाचन	3.82	3.68	3.65	1.03	4.71
3	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	30.52	67.57	56.74	29.52	43.94
4	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	106.16	394.33	418.97	106.35	580.10
5	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	86.33	122.06	91.88	124.39	153.99
6	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	68.45	88.69	47.75	372.80	235.77
7	15-कल्याण	36.41	93.53	80.43	83.72	197.45

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

8	16-श्रम एवं रोजगार	38.41	35.29	5.61	12.08	12.39
9	18- सहकारिता	1.39	7.72	1.83	4.87	10.30
10	19 ग्राम्य विकास	49.63	45.13	70.21	75.22	92.71
11	22- लोक निर्माण	29.78	51.18	28.64	34.94	35.43
12	23- उद्योग	14.96	13.08	1.34	5.15	14.47
13	24-परिवहन	10.10	11.56	5.62	2.52	1.37
14	26- पर्यटन	0.71	2.31	2.85	2.92	30.66
15	28-पशुपालन	12.18	7.38	8.49	15.53	4.48

पूँजीगत-दत्तमत

1	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	24.06	45.12	51.24	8.78	72.43
2	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	16.97	14.57	7.80	60.20	166.31
3	15-कल्याण	2.15	6.39	5.09	13.74	22.03
4	23-उद्योग	40.58	5.41	9.55	11.54	13.35

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.3 व्ययाधिक्य

पाँच प्रकरणों में, ₹ 4,095.65 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 1,611.40 करोड़ अधिक था और प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका व्यौरा परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है। इनमें से निम्न अनुदानों/शीर्षों (तालिका 2.4) में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है:

तालिका-2.4

वर्ष 2007-12 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूँजीगत-दत्तमत						
1	17-कृषि कार्य एवं शोध	14.81	11.72	11.73	30.82	18.33
2	25-खाद्य	367.77	564.40	916.31	1,207.14	1,283.25
योग		382.58	576.12	928.04	1,237.96	1,301.58

इन अनुदानों/शीर्षों में निरन्तर व्याधिक्य काल्पनिक बजट आकलनों का सूचक है। अतः सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध हेतु, इन शीर्षों के अन्तर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक यथार्थवादी होना चाहिए ताकि भविष्य में निरन्तर व्याधिक्य की पुनरावृत्ति न हो।

निरन्तर व्याधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2012)।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि यह देखा गया कि, बिना मूल आकलन/अनुपूरक माँग में कोई प्रावधान एवं बिना इसके पुनर्विनियोजन आदेश के प्रभाव के एक प्रकरण में ₹ 4.51 करोड़ का व्यय कर दिया गया, जैसा तालिका-2.5 में वर्णित है।

तालिका-2.5

वर्ष 2011-12 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान की संख्या एवं नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि	कारण/अभ्युक्तियाँ
29-उद्यान विकास (पूँजीगत दत्तमत)	4.51	कारण प्रतीक्षित थे

यद्यपि 31 मार्च 2010 तथा 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था, तथापि राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा अद्यतन वर्ष के दौरान बजट प्रावधान के बिना इसी शीर्ष में ₹ 4.51 करोड़ का व्यय किया है जो कि अनियमित व अनधिकृत है और इसके विनियमन की आवश्यकता है।

2.3.5 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोग पर व्याधिक्य का राज्य विधायिका द्वारा विनियमन किया जाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अन्तर्गत, व्यय के विनियमन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, व्याधिक्य का विनियमन लोक लेखा समिति (पी ए सी) द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2005-11 के वर्षों के ₹ 5,782.51 करोड़ की राशि के व्याधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा विनियमन अब तक किया जाना प्रतीक्षित था। विनियमन हेतु लम्बित व्याधिक्य की वर्षवार राशि तालिका-2.6 में सारांशित है:

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

तालिका-2.6

विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि	विनियमन की स्थिति
	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे		
2005-06	7	7,8,17,20,22,25&29	663.50	राज्य सरकार द्वारा स्थिति सूचित नहीं की गयी
2006-07	6	7,17,20,22,25 & 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 & 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25&29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25&29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 & 29	1,295.40	
योग			5,782.51	

विगत वर्षों के अनुदानों/तीन विनियोगों में प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधायिका द्वारा शीघ्रतांश्च विनियमन कराने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

2.3.6 वर्ष 2011-12 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका 2.7 में वर्ष 2011-12 के दौरान चार अनुदानों/एक विनियोग में राज्य की संचित निधि (सी एफ एस) से प्राधिकृत से अधिक व्यय ₹ 1,611.40 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.7

2011-12 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत-दल्तमत				
1	17 कृषि कार्य एवं शोध	1,59,202	3,42,489	1,83,287
2	22 लोक निर्माण	82,59,241	84,59,122	1,99,881
3	25 खाद्य	36,725	1,28,69,264	1,28,32,539
4	29 उद्यान विकास	0	45,138	45,138
पूँजीगत -भारित				
1	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1,63,87,300	1,92,40,501	28,53,201
योग			2,48,42,468	4,09,56,514
				1,61,14,046

राज्य सरकार/विभाग द्वारा व्याधिक्य के कारणों को अगस्त 2012 तक सूचित नहीं किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कर लेना चाहिए।

2.3.7 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 37 प्रकरणों में जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 813.24 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा परिशिष्ट-2.3 में वर्णित किया गया है।

₹ 37.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान दो प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 38.32 करोड़ का व्याधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट 2.4)।

2.3.8 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें पुर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, निधियों का स्थानान्तरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप 25 उपशीर्षों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि परिशिष्ट-2.5 में वर्णित है। इनमें से सिंचाई विभाग की नई परियोजनाओं के नामे अनुदान संख्या 20- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण- में ₹ 44.67 करोड़ (₹ 20 करोड़ से अधिक) की बचत हुई। बचत के कारण सरकार द्वारा अगस्त 2012 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

उपर्युक्त प्रकरणों में पर्याप्त बचत प्रदर्शित करती हैं कि सम्बद्ध विभागों द्वारा निधियों को व्यय नहीं किया जा सका जैसा कि योजनाओं के अन्तर्गत प्राक्कलित एवं नियोजित था।

2.3.9 पर्याप्त अभ्यर्पण

16 उपशीर्षों में, योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन न किये जाने या धीमे क्रियान्वयन के कारण पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इन 16 योजनाओं में ₹ 103.67 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 89.09 करोड़ (85.93 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 6 योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 8.94 करोड़) सम्मिलित है जैसा कि परिशिष्ट-2.6 में विस्तारित है।

2.3.10 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करती है। इन प्रकरणों में ₹ 85.84 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 105.46 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 19.62 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण किया गया। विवरण परिशिष्ट-2.7 अ में दिये गये हैं।

दो मामलों में (कृषि कार्य व अनुसंधान तथा लोक निर्माण) ₹ 38.32 करोड़ के अन्तिम आधिक्य होते हुए भी ₹ 74.13 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। विवरण परिशिष्ट-2.7 ब में दिये गये हैं।

2.3.11 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई

बजट नियमावली के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों के लिए जब और जैसे ही बचत का पुर्वानुमान हो जाए, आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों या उनका एक भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित करें। तथापि, वर्ष 2011-12 के अंत में, 09 अनुदान/विनियोजन ऐसे थे जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 1,044.45 करोड़ (कुल बचत का 27.00 प्रतिशत) थी (परिशिष्ट-2.8)।

इसी प्रकार, ₹ 2,628.31 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से ₹ 925.69 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणाम स्वरूप ₹ 1,702.62 करोड़ (कुल बचत का 44.02 प्रतिशत), अभ्यर्पण नहीं हुआ। इसे परिशिष्ट-2.9 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 19 प्रकरणों में (₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण), ₹ 949.34 करोड़ मार्च 2012 के अंतिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किए गए (परिशिष्ट-2.10)। यह अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य विकासात्मक कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.12 व्यय की तीव्रता

वित्तीय विनियम के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। इसके विपरीत, परिशिष्ट-2.11 में सूचीबद्ध 70 उपमुख्य शीर्षों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक या एक वर्ष में किये जाने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक के व्यय अन्तिम तिमाही में या मार्च 2012 में किया गया था। तालिका-2.8 भी उन मुख्य शीर्षों को दर्शाती है जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक व्यय या तो वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया था अथवा अन्तिम माह में किया गया था।

तालिका-2.8

वित्तीय वर्ष 2011-12 के समापन के समय व्यय की तीव्रता के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
			राशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय की प्रतिशत
1	2015	28.51	21.56	75.62	13.75	48.23
2	2030	27.56	18.47	67.02	13.68	49.65
3	2045	3.74	2.10	56.25	1.08	28.87
4	2251	0.03	0.03	83.96	0.03	80.88
5	2408	199.73	186.05	93.15	182.88	91.56
6	2701	12.39	7.59	61.25	2.78	22.43
7	2810	9.74	5.47	56.14	4.97	51.01
8	3054	156.45	105.61	67.50	95.24	60.87
9	3451	10.34	8.22	79.49	1.01	9.80
10	4059	65.70	33.63	51.19	13.12	19.97
11	4225	11.93	6.41	53.74	5.19	43.46
12	4235	4.16	3.25	78.14	0.00	0.03
13	4406	16.36	15.56	95.11	12.84	78.51
14	4700	234.70	127.40	54.28	75.79	32.29
15	4702	201.67	110.16	54.63	75.02	37.20
16	4711	15.44	9.77	63.28	0.86	5.61
17	5055	41.67	21.67	52.00	21.67	52.00
योग		1,040.12	682.95	65.66	519.91	49.99

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान इन मुख्य शीर्षों के कुल व्यय ₹ 1,040.12 करोड़ का 65.66 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया। आगे, उपर्युक्त नौ विशिष्ट प्रकरणों में, ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय अकेले माह मार्च 2012 में किया गया था।

वित्तीय विनियमन के दृष्टिकोण के विपरीत सरकार द्वारा भारी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में किया गया जो व्यय पर कमजोर वित्तीय नियन्त्रण का सूचक था। ठोस वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय में एकरूपता बनाये रखा जाना चाहिए।

2.4 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

2.4.1 सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल (ए सी बिल) में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पहले के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक

प्रभारों के विस्तृत बिल सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रेषित और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित कर दिये गये हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 5.44 करोड़ के ए सी बिलों के विरुद्ध केवल ₹ 1.88 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी बिलों) की राशि ही प्राप्त हुई, जिससे जून 2012 तक ₹ 45.03 करोड़ के ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष पड़ा रहा। वर्षवार विवरण तालिका-2.9 में दिया गया है।

तालिका-2.9

**सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना
(जून 2012 के अनुसार)**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए सी बिलों की राशि	डी.सी. बिलों की राशि	अवशेष ए सी बिल	
			संख्या	राशि
2009-10	1.41	0.07	14	1.34
2010-11	72.14	32.01	151	40.13
2011-12	5.44	1.88	150	3.56
योग	78.99	33.96	315	45.03

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है, जून 2012 के अंत तक 315 ए सी बिलों की कुल अवशेष धनराशि ₹ 45.03 करोड़ थी। आगे यह भी पाया गया कि कुल बकाया ₹ 45.03 करोड़ में से 28 ए सी बिलों के ज़रिये सचिव, राजस्व व सामान्य प्रशासन द्वारा भारी धनराशि ₹ 16.29 करोड़ (36 प्रतिशत) आहरित की गयी (2010-11 के दौरान) तथा डी सी बिलों के अप्रस्तुतीकरण के नामे अभी तक बकाया थी। 2011-12 के कुल बकाया ए सी बिलों में से (₹ 3.56 करोड़), भारी धनराशि ₹ 1.98 करोड़ चुनाव विभाग (56 प्रतिशत) से सम्बन्धित थी। वर्ष 2011-12 तक विभागवार लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों के जो 30 जून 2012 तक के डी सी बिलों के लम्बन को दर्शाता विवरण परिशिष्ट-2.12 में दिया गया है।

सार आकस्मिक बिल आहरित किए जाने के बाद लम्बे समय तक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत न किये जाने से दुर्विनियोजन का जोखिम है और इसलिये इसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

2.4.2 असमाधानित व्यय

व्यय को बजट आवंटनों के अन्तर्गत रखने और उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय नियमों में निहित हैं कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों के पक्ष से चूंके वर्ष 2011-12 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं। लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि 13 नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 5,201 करोड़ शामिल हैं, वर्ष 2011-12 के दौरान असमाधानित रहे जो कुल शुद्ध व्यय ₹ 15,539 करोड़ का 33 प्रतिशत थे जैसा तालिका 2.10 में वर्णित है:

तालिका-2.10

नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2011-12 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में
₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1	सचिव, राजस्व विभाग	192.31
2	सचिव, प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन	101.41
3	प्रमुख सचिव, वित्त/प्रमुख सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग	1,766.85
4	निदेशक, कोष व वित्तीय सेवाएँ (निदेशक, लेखा व हकदारी)	1,170.71
5	सचिव, रोजगार	31.83
6	सचिव, लोक सेवा आयोग	13.41
7	सचिव, शिक्षा	197.66
8	सचिव, खेल व युवा कल्याण, देहरादून	151.97
9	प्रमुख सचिव, चिकित्सा/प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	746.32
10	सचिव, श्रम	88.68
11	सचिव, ऊर्जा	51.74
12	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	53.91
13	प्रमुख सचिव, सामाजिक कल्याण	634.54
योग		5,201.34

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

₹ 5,201 करोड़ की भारी रकम का वर्ष 2011-12 के दौरान असमाधानित रह जाने के मुख्य कारण, समाधान हेतु नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा पहल न किया जाना था।

इस प्रकार, गबन तथा निधियों के द्रुपद्योग की संभावनाओं के निवारण हेतु सरकार को चाहिए कि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाधान को सुनिश्चित करें।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम 2001 (2001 के अधिनियम सं 2) के अन्तर्गत की

गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु मात्र लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। यह निधि एक अग्रदाय के स्वरूप की है तथा इसका वर्तमान संग्रह ₹ 200 करोड़ है (वर्ष के दौरान संग्रह को ₹ 600 करोड़ से ₹ 200 करोड़ तक कम कर दिया गया था)। इस निधि से किसी अग्रिम आहरण की उसी वित्त वर्ष में प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। तथापि, ₹ 69.07 करोड़ के अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरित किये गये जो 31 मार्च 2012 तक समायोजित किये जाने शेष थे जैसा कि नीचे तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका-2.11

वर्ष 2011-12 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग / अन्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	स्वैकृति का माह
1	03	2013-मंत्रीमण्डल	62.76	(-)0.98	61.78	61.46	0.94	08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 & 02/2012
2	06	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	46.51	(-)0.26	46.25	40.78	0.25	08/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 & 02/2012
3	14	2220-सूचना व प्रचार	38.27	(-)1.94	36.33	36.17	6.80	02/2012 & 03/2012
4	17	6401-कृषि कर्म के लिए क्रृषि	15.40	(-)0.40	15	15.00	15.53	09/2011
5	18	2425-सहकारिता	42.31	(-)11.47	30.84	32.01	5.14	08/2011 12/2011 01/2012 02/2012 & 03/2012
6	19	2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	319.96	(-)40.00	279.96	240.72	0.15	08/2011
7	19	4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	213.88	0	213.88	147.84	36.16	11/2011 & 12/2011
8	24	3053-नागरिक विमानन	6.67	(-)1.18	5.49	5.09	3.41	12/2011 & 02/2012
9	25	3456-नागरिक पूर्तियाँ	4.15	0	4.15	2.82	0.09	06/2011
10	26	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	47.28	0	47.28	28.08	0.50	12/2011
11	28	2403-पशुपालन	90.74	0	90.74	87.96	0.10	01/2012
योग			887.93	(-)56.23	831.70	697.93	69.07	

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ₹ 69.07 करोड़ के व्यय वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिमों के रूप में किये गये तथा उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (वर्ष 2001 के अधिनियम सं. 2) की धारा 5 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार इसकी प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान नहीं की गई थी।

सरकार ने वर्ष के दौरान, पूँजीगत व्यय (₹ 37 करोड़) तथा कृषि पालन (₹ 16 करोड़) कार्य हेतु वितरित ऋणों की पूर्ति हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिमों का आश्रय लिया, जो प्रत्याशित थे तथा इसी कारणवश वित्तीय प्रबन्धन के विपरीत थे।

2.6 बजट प्रक्रिया में कमियाँ

वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में पायी गई कमियाँ निम्नानुसार थीं:

- लघु शीर्ष 900-क्षेत्र-अ, कर-राजस्व के अन्तर्गत वसूली को दिखाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची (खण्ड-I) प्रावधान करती है कि लघु शीर्ष-900 वसूली क्षेत्र-अ, कर-राजस्व के अधीन आने वाले प्रत्येक मुख्य, उप मुख्य व लघु शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा।
- मुख्य शीर्ष 3454 के अन्तर्गत, लघु शीर्ष 001-निदेशन एवं प्रशासन को मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में यथोपबन्धित 01-जनगणना की बजाय उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण के नीचे दर्शाया गया है।
- अनुदान संख्या 14 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 4059 के नीचे, उपमुख्य शीर्ष 60 को ‘अन्य’ के रूप में दर्शाया गया है। इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में यथोपबन्धित ‘अन्य भवन’ के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- अनुदान संख्या 22 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 2059 में, उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102 को ‘मरम्मत एवं अनुरक्षण’ के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत उपमुख्य शीर्ष 05 को दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में उपबन्धित अनुसार दो और उपमुख्य शीर्ष 01- सूखा तथा 02- बाढ़ व चक्रवात, हैं।
- मुख्य शीर्ष 2217 के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-04 को ‘कस्बों का एकीकृत विकास’- के रूप में दर्शाया गया है जबकि इसे ‘झुगियों का विकास’ के रूप में, मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में प्रावधानित अनुसार, अंकित किया जाना चाहिए था।
- मुख्य शीर्ष 4235 में, ‘अपंगों का कल्याण’ लघु शीर्ष 104 के अन्तर्गत दर्शाया गया है जबकि इसे ‘वृद्धों, अशक्तों एवं निराश्रितों का कल्याण’ होना चाहिए। मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार ‘अपंगों का कल्याण’ लघु शीर्ष 101 में दर्शाया जाना चाहिए।
- अनुदान संख्या 17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2402 में लघु शीर्ष 101 एवं 102 को क्रमशः ‘मृदा संरक्षण एवं परीक्षण’ एवं ‘जल संरक्षण’ के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इन्हें मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार ‘मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण’ व ‘मृदा संरक्षण’ के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- पूर्ववर्ती रिपोर्ट में सूचित किया जाने के बाबजूद भी राज्य सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है।

2.7 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण व संस्कृति का समीक्षा हेतु चयन किया गया था जिससे निम्नलिखित उदघाटित हुआ:

व्यय की तीव्रता

सामान्य वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि वर्ष के दौरान व्यय, माहवार/त्रैमासिक प्रवाह को ध्यान में रखते हुए एक समान रूप से किया जाना चाहिए। अनुदान संख्या 11 (शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण व संस्कृति) के प्रकरण में उदघाटित हुआ कि 2011-12 के दौरान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय के समरूप प्रवाह को बनाये नहीं रखा गया जिससे व्यय में तीव्रता आई। विवरण नीचे दर्शाया है:

तालिका-2.12

अन्तिम तिमाही/मार्च 2012 माह में व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत)	अन्तिम तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	2010-11 के दौरान कुल व्यय	अन्तिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	मार्च में व्यय का प्रतिशत
1.	2203	35.17	22.37	78.00	45.09	28.68
2.	2204	12.15	6.48	35.06	34.65	18.48
3.	2205	4.37	2.53	11.67	37.45	21.68
योग		51.69	31.38	124.73	41.44	25.16

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

2011-12 की अन्तिम तिमाही में इस अनुदान के अन्तर्गत तीन मुख्य शीर्षों में व्यय इस तथ्य के साथ कुल व्यय का 41.44 प्रतिशत था कि इन शीर्षों में कुल व्यय का 25.16 प्रतिशत व्यय अकेले मार्च 2012 में किया गया था जिससे व्यय में तीव्रता आई। यह सरकार के वित्त विभाग द्वारा व्यय को विनियमित करने में आयोजना एवं नियंत्रण का अभाव इंगित करता है।

वर्ष की समाप्ति पर व्यय की तीव्रता निष्फल, निरर्थक या दुर्नियोजित व्यय को बढ़ावा दे सकती है। विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय करने में तीव्रता से बचने हेतु यथानिर्धारित पूरे वर्ष में एक समान रूप से व्यय किया जाये।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

एक वित्तीय वर्ष के दौरान, अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता की मध्यकालिक समीक्षा के उपरान्त पूर्वानुमानित व्ययाधिक्य को पूरा करने हेतु अनुपूरक अनुदान लिये जाते हैं। तथापि, यह देखा गया कि अनुदान संख्या 11 के दो मुख्य शीर्षों के अधीन, बिना किसी उचित नियोजन के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये गये थे जैसा नीचे तालिका-2.13 में सारणीबद्ध है:

तालिका-2.13

अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुपूरक प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत
	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
2203	101.14	12.77	00	113.91	77.52	(-)36.39
4202	271.04	16.22	(-)68.58	218.68	120.95	(-)97.73
योग	372.18	28.99	(-)68.58	332.59	198.47	(-)134.12

अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत दो मुख्य शीर्षों हेतु लिये गये ₹ 28.99 करोड़ अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि दो मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत/सम्पूर्ण बचत स्वयं विभाग द्वारा प्राप्त अनुपूरक अनुदान से अधिक थी। मुख्य शीर्ष - 4202 के अन्तर्गत लिए गए मूल अनुदान का मुख्य भाग ₹ 97.73 करोड़ (36.06 प्रतिशत), ₹ 68.58 करोड़ के पुनर्विनियोजन के बावजूद भी विभाग द्वारा अव्ययित रह गया।

निधियों का उचित उपयोग करने हेतु उचित तंत्र सरकार लागू कर सकती है।

अप्रयुक्त प्रावधान

विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक वित्त विवरणी में विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए प्रावधान है। अनुदान संख्या 11 में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक सम्पूर्ण बजट प्रावधान के उपशीर्ष 4202-01-202-19 के अधीन ₹ 1.50 करोड़ अप्रयुक्त रहा। यह सूचित करता है कि आकलित एवं आयोजित अनुसार व्यय किया न जा सका। इसमें निधियों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.8 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 3868.22 की बचत चार अनुदानों व एक विनियोग में ₹ 1611.40 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई। परिणामस्वरूप ₹ 2256.82 करोड़ की समग्र बचत हुई।

वर्ष के दौरान चार अनुदानों व एक विनियोग के अन्तर्गत पाँच मामलों में अनुमोदित प्रावधान पर ₹ 1,611.40 करोड़ के व्याधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

न्यायिक प्रशासन, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, वित्त कर नियोजन, ऊर्जा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवासन एवं शहरी विकास, कल्याण, ग्राम्य विकास तथा लोक निर्माण अनुदानों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर भारी बचत दर्शायी गयी। निधियों का अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक/अधिक पुनर्विनियोजन के प्रकरण भी थे। अन्तिम तिमाही/वित्त वर्ष के अन्त में व्यय की तीव्रता विभागों में अपर्याप्त बजट नियन्त्रण या इसके अभाव को इंगित करती है। बहुत से प्रकरणों में, पूर्वानुमानित

बचत या तो अभ्यर्पित नहीं की गयी थीं या वर्ष के अन्त में मार्च माह में समर्पित की गयीं जिसके कारण दूसरे विकासात्मक उद्देश्यों हेतु इन निधियों के उपयोग की संभावना नहीं बची थी। आकस्मिकता निधि से स्वीकृत आहरण (यद्यपि कई प्रकरणों को तात्कालिक प्रकृति का न होने के बावजूद आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था) तथा वर्ष के अन्त तक उसका समायोजन नहीं हुआ था।

वित्तीय प्रबन्धन में इस प्रकार की कमियों से बचने के लिये बजटीय नियन्त्रणों का कड़ाई से पालन किया जाए। अन्तिम क्षणों में निधियों की अवमुक्ति और पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के आदेशों को जारी करने से बचना चाहिए। सरकार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति केवल अप्रत्याशित एवं तात्कालिक प्रकृति के व्यय को वहन करने के लिए मात्र प्रदान करें तथा निधियों के समय पर समायोजन की प्रणाली को कारगर बनाना चाहिए। नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा कठोर अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि नियत समय सीमा के अन्तर्गत सार आकस्मिकता बिलों के समायोजन को सुनिश्चित किया जा सके।

2.9 संस्तुतियाँ

सरकार यह सुनिश्चित करे कि :

- सभी विभागों को चाहिए कि भारी बचत/आधिकार्यों से बचने से बचने के लिए व्यय की रुझान तथा निधियों की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए यथार्थवादी बजट आकलन प्रस्तुत करें।
- सभी विभागों को चाहिए कि आवंटनों के सापेक्ष व्यय का निकट अनुश्रवण करें तथा अनुदानों पर हो रहे व्ययाधिक्य से कड़ाई तरीके से बचें।
- सभी अनुभागों को चाहिए कि पहले से ही बचतों की संगणना करें तथा उनके अभ्यर्पण नियत तिथि तक करें ताकि निधि की आवश्यकता वाले अन्य विभागों द्वारा इनका प्रभावी उपयोग हो सके।
- प्रचालित नियमों के अन्तर्गत सार आकस्मिकता बिलों पर आहरित अग्रिमों को नियत अवधि के अन्दर समायोजित करने हेतु विभागों में अनुश्रवण तन्त्र लागू हो।